झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

:: संकल्प ::

विषयः–**जलापूर्ति/सिवरेज योजनाओ के कार्यान्वयन में एक हेक्टेयर तक सरकारी जमीन का हस्तांतरण/अनापत्ति की शक्ति उपायुक्त को सौंपने के संबंध में।**

1. राज्य में जलापूर्त्ति योजनाओं के लिए सरकारी भूमि का हस्तांतरण/अनापत्ति प्राप्त होने में विलम्ब के कारण जलापूर्त्ति योजनाओं के निर्माण में अधिक समय लगने एवं लागत राशि में दोगुनी तिगुनी वृद्धि दर्ज की गई है। इससे एक तरफ जहाँ सरकारी कोष पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है, वहीं ससमय योजनाएँ पूर्ण नहीं होने के कारण जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्त्ति नहीं हो पाती है।

2. वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–1245/रा. दिनांक–6.5.10 के द्वारा मात्र अन्तर्विभागीय सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों का निस्तार प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा किये जाने का प्रावधान है। सरकारी भूमि का निःषुल्क हस्तांतरण प्रमंडलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित है, लेकिन वैसी भूमि जो अन्य विभाग/बोर्ड आदि सरकारी संस्थानों के नियंत्रण में है, उसके हस्तांतरण हेतु कोई आदेश निर्गत नहीं है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गैरमजरूआ खास/ गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि, जिसका कुल रकबा–2.5 एकड़ से अधिक न हो, को पेयजल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि हस्तांतरित करने की शक्ति उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति को प्रत्यायोजित की जाती हैः–

(क)	उपायुक्त	– अध्यक्ष
(ख)	अपर समाहर्त्ता	– सदस्य
(ग)	संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी	– सदस्य
(घ)	संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी	– सदस्य
(ड़)	संबंधित कार्यपालक अभियन्ता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग –	– सदस्य
(च)	संबंधित अंचलाधिकारी	– सदस्य सचिव

4. 2.5 एकड़ तक गैर मजरूआ खास/जंगल झाड़ी सरकारी भूमि के हस्तांतरण/अनापत्ति के लिए यह समिति पूरी तरह से सक्षम एवं जिम्मेवार होगी। पेयजलापूर्त्ति योजना के लिए पाईप बिछाने के लिए अनापत्ति पत्र देने के लिए भी उक्त समिति सक्षम होगी।

5. रैयती भूमि की आवश्यकता होने पर इसे **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013** के प्रावधानों के तहत अधिगृहित किया जायेगा।

कृ.पृ.उ.

6. वन भूमि के अपयोजन हेतु नोडल विभाग वन एवं पर्यावरण विभाग होगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी की भूमि के अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र राजस्व विभागीय पत्रांक–1521/रा0 दिनांक–08.06.2010 के आलोक में कार्रवाई की जायेगी ।

7. गैरमजरूआं आम भूमि की बन्दोबस्ती हेतु वर्तमान में सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद ही है।

8. प्रस्तावित समिति राज्य सरकार के विभिन्न विभागों (वन एवं पर्यावरण विभाग को छोड़कर) की भूमि तथा विद्युत बोर्ड, बाजार समिति, जिला परिषद, सहकारी निकाय इत्यादि सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों की भूमि भी इन विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर हस्तांतरित करने के लिए सक्षम होगी। जहाँ भूमि के मूल्य के निर्धारण का प्रश्न है, राज्य विद्युत बोर्ड को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित किया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य विद्युत बोर्ड को पेयजलापूर्त्ति योजनाओं के लिए ली जानेवाली भूमि के विरूद्ध कोई मूल्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। साथ ही अन्य सरकारी विभागों की भूमि का हस्तांतरण पेयजलापूर्त्ति योजना हेतु निःशुल्क होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सरकारी/अर्द्धसरकारी निकाय, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि हस्तांतरित की गई है, उनकी भूमि का भी निःशुल्क हस्तांतरण होगा। अन्य मामलों में हस्तांतरित की जानेवाली भूमि के लिए मूल्य का निर्धारण संबंधित उपायुक्तों द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया के अनुरूप ही दर का निर्धारण किया जाएगा।

9.(i) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग संकल्प निर्गत होने के बाद विधिवत् भूखण्ड प्राप्त किये बिना कोई प्राक्कलन तथा निविदा/योजना स्वीकृत नहीं करेगा।

(ii) हस्तांतरित भूखण्ड का नामान्तरण (Mutation) परियोजना के नाम से संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा कराया जायेगा। इसका अभिलेख संधारित किया जायेगा एवं नियमित रूप से भू–लगान का भुगतान करना होगा।

(iii) प्रत्येक मामले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग रू. 10,000/– (दस हजार रू.) Notional षुल्क के रूप में जमा करेगा।

(iv) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग योजनाओं से संबंधित सम्पत्तियों को नामान्तरित (Mutate) कराकर Record details विभाग के web site पर रखेगा ताकि Land Dispute न हो।

10. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रस्तुत मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का परिपत्र संख्या–1245/रा, दिनांक–06.05.2010 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

कृ.पृ.उ.

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

23.5.14.
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5/स.भू. पेयजल–176/13...1957.../रा. राँची, दिनांक– 23-05-14

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव /माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.5.14.
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5/स.भू. पेयजल–176/13...1957.../रा. राँची, दिनांक– 23-05-14

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड, पो.–हिनू, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

23.5.14.
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–5/स.भू. पेयजल–176/13...1957.../रा. राँची, दिनांक– 23-05-14

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 200 (दो सौ) प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को एवं संबंधित को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

23.5.14.
प्रधान सचिव